न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 02 / 2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
हीराराम गर्ग, पूर्व पटवारी, बालेवा, तह. शिव, हाल–सेवानिवृत कार्मिक		जिला कलेक्टर,(भू0अ0) बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश कंमाक भू0अ0 / वि0जॉ0 / 1995 / 1620 दिनांक 31.03.1995 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थिति:––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रामसर आज उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक: 28 जुलाई,2021

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.1995 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। जिस पर अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार दिनांक 5.4.2021 को उपस्थित हुए।

3. अपीलान्ट को दिनांक 27.07.2021 को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में राज्यसेवा से निवृत हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण निलम्बित किया गया तत्पश्चात नियम 16 सीसीए के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित की गई। अपीलान्ट कार्मिक जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर के पत्रांक 1030 दिनांक 10.02.1993 के द्वारा कुल 12 आरोप आरोपित किये गये थे कि:––

आरोप पत्र संख्या–1

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान माहवारी पटवार बैठक माह मई 92 से अक्टूबर, 92 में लापरवाही पूर्वक अनुपस्थित रहने का दोषकारित किया है।

28/7/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आरोप पत्र संख्या–2

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान पशुगणना बैठक दिनांक 14.8.82 में अनुपस्थित रहने का दोषकारित किया है।

आरोप पत्र संख्या–3

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान माहवारी पटवार मण्डल बालेवा के भू–राजस्व एवं पंचायत समिति करों के ढालबांछ दिनांक 12.10.92 तक दर्ज नहीं करकर कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का परिचय दिया है।

आरोप पत्र संख्या–4

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान माहवारी पटवार मण्डल बालेवा की अस्थाई मांग दिनांक 28.07.92 तक दर्ज नहीं कराई।

आरोप पत्र संख्या–5

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान कृषिगणना के अन्तर्गत आदान सर्वेक्षण हेतु चयनित ग्राम देदडीयार का अभिलेख दिनांक 8 व 9.7.92 को सांख्यिकी सहायक को उपलब्ध नहीं कराया।

आरोप पत्र संख्या–6

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान माहवारी पटवार मण्डल बालेवा के मासिक सारांश माह मई,92 से सितम्बर, 92 तक का पेश नहीं करने का दोषकारित किया है।

आरोप पत्र संख्या–7

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान माहवारी पटवार मण्डल बालेवा के सम्वत 2047 कस पुराना रेकर्ड उपतहसील कार्यालय गडरारोड में जमा नहीं कराकर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचय दिया है।

आरोप पत्र संख्या–8

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान दिनांक 28.6.92 से 13.7.92 एवं दिनांक 11.8.92 से 30.9.92 तक स्वैच्छा से अपने हल्के से अनुपस्थित रहने का दोषकारित किया है।

आरोप पत्र संख्या–9

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान माहवारी पटवार मण्डल बालेवा के मिलान खसरा समय पर प्रस्तुत नहीं कर दोषकारित किया है।

आरोप पत्र संख्या–10

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान उनकी अकर्मण्यता को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शिव ने पत्रांक 1957–58 दिनांक 26.8.92 के द्वारा कार्यभार पदमाराम पटवारी को सौपने का आदेश दिया था, आपने उक्त आदेश की पालना नहीं की।

आरोप पत्र संख्या–11

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान विधानसभा निर्वाचक नामावाली 1993 की तैयारी बाबत मकानों पर नम्बर अंकित कर सूचना दिनांक 27.7.92 को तहसील कार्याल शिव में पेश करने के निर्देश दिये थे। श्री गर्ग ने उक्त निर्देशों की पालना नहीं की।

आरोप पत्र संख्या–12

28/7/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

श्री हीराराम गर्ग ने वर्ष 1992 में पटवारी बालेवा के पद पर पदस्थापन्न के दौरान दिनांक 22.8.92 को तहसील मुख्यालय शिव पर विधानसभा निर्वाचक नामावली 1993 को बनाने की तैयारी बाबत आयोजित मिटिंग में अनुपस्थित रहे।

4. अपीलान्ट ने कथन किया कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा जारी आरोप पत्रों का अपीलान्ट के द्वारा जबाव पेश नहीं करने पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत प्रकरण की विस्तृत विभागीय जॉच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा विभागीय जॉच पूर्ण करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.8.1994 को जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की उक्त जॉच रिपोर्ट में भी जॉच अधिकारी के द्वारा मुझ अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित होना मान लिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट को आरोपित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आचौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी जॉच में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा न ही अपीलान्ट को अपने बचाव में अभ्यावेदन व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, इसलिये न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी जॉच कार्यवाही से पूर्व पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जॉच की जानी चाहिये थी, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उपखण्ड अधिकारी की जॉच को आधार मानकर अपीलान्ट को उक्त आरोपों से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। जो खारिज किये जाने योग्य है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी जॉच अधिकारी की रिपोर्ट में अंकित साक्ष्यों व दस्तावेजों का न तो तर्क–वितर्क किया और न ही उसकों मानने व न मानने सम्बन्धी कोई कारण आदेश में अंकित किया गया था और न ही कोई विस्तृत विवेचन किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर (जाच अधिकारी) के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप संख्या 01 से 12 के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही इस बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये थे। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलान्ट को दण्डित कर दिया है। जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.1993 को अपनी आदेशिका में सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20.1.1994 नियत की। जिस दिनांक को अपीलान्ट के उपस्थित नहीं रहने के बावजूद उसकी उपस्थिति अंकित कर दी गई और दिनांक 14.2.1994 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। इसी प्रकार जॉच अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में गवाह खीयाराम, हरीश भूत के बयान दर्ज कर दिये। जबकि एकपक्षीय आदेश करने के उपरान्त कम से कम 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। गवाहों से अपीलान्ट को जिरह नहीं करवाई गई।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जॉच अधिकारी ने अपनी आदेशिका में दिनांक 28.5.1994 को तहसीलदार शिव ने पटवार मण्डल पोगेरा का चार्ज दिलाने

28/12/22
डिविजनल कमिश्नर

का आदेश पदमाराम के नाम किया गया है। उसकी प्रति तहसीलदार शिव से मंगवाई जावे। जो उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बावजूद भी अपीलान्ट को दोषी मानकर जॉच पूर्ण दी। गवाहों के बयान अनुसार वो दस्तावेज भी जॉच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिये और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर दी। अपीलान्ट ने अन्त में यह निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं दो वार्षिक वेतनवृद्धि बहाल किये जाने का आदेश करावें।

8. प्रत्युतर में उपस्थित विभागीय पैरोकार ने जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश को विधि अनुसार पारित किये जाने का कथन किया एवं उसे उचित ठहराते हुए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ज्ञापन पत्र की दिनांक 22.02.1993 को प्रति तामील करवाई गई। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उनके द्वारा अपना जबाव प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही कहा कि जॉच अधिकारी की जॉच के समय भी दिनांक 6.5.1993 व 12.7.1993 को सुनवाई के नोटिस जारी किये गये जो दिनांक 3.8.1993 को तामील होकर लौटा। परन्तु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अपीलान्ट ने अपना जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से जॉच प्रतिवेदन की प्रति भी अपीलान्ट को दिनांक 19.8.1994 व दिनांक 01.09.1994 को उपलब्ध करवाते हुए उनसे प्रत्युतर चाहा परन्तु उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 2.3.1995 को नोटिस जारी किया गया परन्तु नोटिस तामील होने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही उपस्थित नहीं होने का कोई कारण बताया। अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों में वर्णित कारण पटवारी/लोकसेवक के 'राज0 भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 24–क के तहत राजकार्यो में शुमार है जो नियत समय पर पूर्ण करने चाहिये थे। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में मिथ्या तथ्य अंकित किये गये है। ऐसे में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा यह मानते हुए की अपीलान्ट को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है, तत्पश्चात ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था जो यथावत रखा जावे।

हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे प्रथमतः यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 31.03.1995 को उनके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 90 दिवस की म्याद अवधि गुजर जाने के उपरान्त यह विभागीय अपील दिनांक 23.10.2020 को यानि लगभग 25 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई जिसे अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु किसी प्रकार के कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जा सके।

अपीलान्ट एक जिम्मेदार कार्मिक यानि पटवारी जैसे महत्वपूर्ण एवं राजकीय विभागों की कडी माने जाने वाले पद पर पदस्थापित रहा है जिसे राजकीय रेकर्ड संधारण एवं राजकीय कार्यो का दायित्व रहता है, उसे अपने विरूद्ध पारित किये गये वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश की जानकारी इतने समय में नहीं होना, किसी भी स्टेज पर नहीं माना जा सकता है। जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ज्ञापन पत्र की दिनांक 22.02.1993 को प्रति भी अपीलान्ट को तामील करवाई जाना और

28/7/2021

पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उनके द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया। जॉच अधिकारी की जॉच के समय भी दिनांक 6.5.1993 व 12.7.1993 को सुनवाई के नोटिस अपीलान्ट को जारी किये जो दिनांक 3.8.1993 को तामील होकर प्राप्त हुए परन्तु इतने अवसर देने के उपरान्त भी अपीलान्ट ने अपना जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से जॉच प्रतिवेदन की प्रति भी अपीलान्ट को दिनांक 19.8.94 व दिनांक 01.09.1994 को उपलब्ध करवाते हुए उनसे प्रत्युतर चाहा परन्तु इस पर उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया और अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 2.3.1995 को नोटिस जारी किया परन्तु नोटिस तामील होने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही उपस्थित नहीं होने का कोई कारण बताया। अधिनस्थ कार्यालय की पत्रावली से भी यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.1995 को ही प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे में अपीलान्ट की यह प्रस्तुत अपील पूर्णतः म्याद बाहर होने से स्वीकार नहीं की जा सकती।

11. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में उन पर आरोपित किये गये 12 आरोपों के सम्बन्ध में यह कही नहीं दर्शाया है कि उनके द्वारा आरोपित आरोपों का आरोपवार प्रत्युतर तैयार करते हुए प्रत्युतर/अभ्यावेदन जॉच अधिकारी के समक्ष/जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने की कार्यवाही की थी एवं आरोपित आरोपों का विरोध प्रकट किया था। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी आरोपित आरोपों को निराधार या रेकर्ड से परे होने का कथन नहीं किया, मात्र विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विभागीय जॉच कार्यवाही को दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होना दर्शाया है। जो भी सही नहीं ठहरते। अपीलान्ट के द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने बाबत किये गये कथन असत्य प्रतीत होते है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.1995 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/7/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
संभागीय आयुक्त
न्यायालय जोधपुर